न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
अपील सूचना अधिकार संख्या 15/2022
(GCMS 2023/42)(212739290612687)

श्री मुकन्द सिंह पुत्र श्री हरनेक सिंह निवासी 5 केएसडी पोस्ट ऑफिस, सुखचैनपुरा, तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

बनाम

प्रभारी अधिकारी (राजस्व शाखा), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

30.04.2024

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री मुकन्द सिंह स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अपीलार्थी श्री मुकन्द सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (राजस्व शाखा), श्रीगंगानगर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिनांक 03.01.2022 को पेश किया था। लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (राजस्व शाखा), श्रीगंगानगर ने अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, इसलिए अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (राजस्व शाखा), श्रीगंगानगर से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री मुकन्द सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 03.01.2022 के द्वारा निम्न सूचना चाही थी:

1. सहायक शासन सचिव राजस्व, उपनिवेशन विभाग जयपुर का पत्र क्रमांक 3..5/उप/04 जयपुर दिनांक 02.05.2008 के आदेशानुसार प्रार्थी द्वारा अतिक्रमण हटवाने हेतु लिखा था, ग्राम पंचायत मोकमपुरा के गांव 5 केएसडी में राजस्व भूमि पर अतिक्रमण की रिपोर्ट व राज्य सरकार के भेजे गये पत्र व कार्यवाही रिपोर्ट आदेशों की पालना रिपोर्ट की पूर्ण पत्रावली सहित प्रमाणित सूचनाएं चाही

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.05.13 12:16:34 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

2. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 17.05.2008 पत्र क्रमांक 128 राजस्व/2008/4176 क्रमांक को उप जिला कलक्टर रायसिंहनगर को अतिक्रमण हटवानें हेतु लिखा था, इस आदेश की पालना रिपोर्ट और आज तक आदेशो की जमीनी स्तर पर नही हुई इस आदेश नही मानने वाले राजस्व के कर्मचारियों के नाम व पद सहित सूची बनाकर प्रमाणित चाही है।

3. बिन्दु एक व दो में आदेशों के नही मानने वाले राजस्व विभाग रायसिंहनगर व समेजा कोठी उपतहसीलदार सहित राजस्व नियमों के अनुसार आपके कार्यालय द्वारा राजस्व नियमों व कानूनी कार्यवाही सहित समस्त कार्यालयों के कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की प्रमाणित फोटो कॉपी चाही है और क्रमांक न्याय/19/2191 दिनांक 01.08.2019 के आदेश उपखण्ड रायसिंहनगर द्वारा अतिक्रमण हटाने के आदेश की प्रमाणित फोटो कॉपी चाही है।

4. कार्यालय तहसीलदार रायसिंहनगर राजस्व क्रमांक 2008/1015 दिनांक 03.06.2008 व श्रीमान उपखण्ड अधिकार को लिखा था। पालना रिपोर्ट की प्रमाणित फोटो कॉपी चाही है अवैध अतिक्रमण हटवाने सम्बन्धी रिपोर्ट अधूरी बताई थी। इस आदेश की पालना नही होने पर उपजिला कलेक्टर, रायसिंहनगर द्वारा सम्बन्धित भू–अभिलेख निरीक्षक समेजा व पटवारी के खिलाफ राजस्व नियमों के अनुसार कानूनी कार्यवाही की प्रमाणित फोटो कॉपी चाही है। अतिक्रमण हटवाने की किस–किस कर्मचारियो की बनती है, नाम व पद सहित सूची बनाकर देने का कष्ट करे।

5. जिला कलक्टर महोदय से आग्रह है कि 2007 से 2021 तक इन आदेशो की पालना नही हुई। आपके कार्यालय द्वारा उपखण्ड स्त[illegible] अभिलेख समेजा के कर्मचारियों के खिलाफ आज [illegible] से हटवाने व विभागीय कार्यवाही [illegible] या फिर राजस्व नियमों के अनुसार कार्यवाही हुई अथवा नहीं हुई स्पष्ट विवरण सहित प्रमाणित फोटो कॉपी चाही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.05.13 12:16:34 IST
Reason: SelfAttested

Lok
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

6. आज दिनांक के बाद 14 वर्ष बाद भी समय बीत जाने के बाद इन कर्मचारियों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही होगी अथवा नही होगी। स्पष्ट नियमों के सहित प्रमाणित फोटो कॉपी चाही है।
7. इस प्रकरण में तहसीलदार अमर सिंह कार्यालय रायसिंहनगर दोष सिद्ध होने के बाद मे आज दिनांक कानूनी कार्यवाही की प्रमाणित फोटो चाही है। अमर सिंह के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की रिपोर्ट चाही है।
8. इस प्रकरण में आरोपी मनीराम पुत्र श्री हेमपुरी के खिलाफ मुकदमा एफआईआर दर्ज करवाने की राजस्व नियमों के अनुसार किस कर्मचारी का दायित्व, जिम्मेदारी बनती थी, स्पष्ट विवरण सहित प्रमाणित नाम व पद सहित बताने का कष्ट करे व प्रमाणित फोटो भी देने का कष्ट करे।
9. चक 5 केएसडी 'बी' मे पत्थर नं. 249/366 में लगभग 1965 से 1977 के बीच के समय इस भूमि पर वन विभाग की नर्सरी पेड़–पौधे लगे हुए थे और वन विभाग काबिज था। इस भूमि को काश्तकार हेमपुरी. मोठपुरी चुन्नीराम द्वारा... श्रीमान उपायुक्त उपनिवेदन विभाग के आदेश क्रमांक 1833 दिनांक 16.04.1977 तहसील श्रीविजयनगर के आदेश क्रमाक 2284 दिनांक 19.04.1977 के अनुसार चक 5 केएसडी की वन विभाग की जमीन को फर्जी तरीके से खारिज करवाकर अपने नाम कृषि में बदली गई। वर्तमान में भी इनके वंशजों द्वारा खेती की जाती है। खारिज सम्बन्धी समस्त पत्रावली पूर्ण की प्रमाणित फोटो कॉपी चाही है। आदेशो सहित काई भी दस्तावेज छूटना नही चाहिए पूर्ण पत्रावली चाही है।
10. बिन्दु नौं में बताई गई वन विभाग की भूमि को वापिस वन विभाग मूल भूमि तबदील बदलने पूर्ण कानूनी कार्यवाही कौनसा विभाग की बनती है, नाम व जिम्मेदारी अधिकारी पद सहित प्रमाणित फोटो कॉपी चाही है।
11. अतिक्रमणकर्ता मनीराम पुत्र हेमपुरी के खिलाफ उपजिला कलक्टर, रायसिंहनगर व तहसीलदार कार्यालय व भू–अभिलेख समेजा द्वारा आज दिनांक तक कानूनी कार्यवाही की प्रमाणित रिपोर्ट की प्रमाणित चाही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.05.13 12:16:34 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

लोक सूचना अधिकारी (प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा), कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्र क्रमांक एफ12(11)( )राजस्व(आरटीआई)/2019/936 दिनांक 07.03.2022 से अपील का जवाब निम्नानुससार प्रेषित किया है:

> उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि अपीलार्थी के अवेदन दिनांक 03.01.2022 की सूचना उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर एवं तहसीलदार रायसिंहनगर से संबंधित होने के कारण प्रार्थी को सीधे ही सूचना दिये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 210–211 दिनांक 11.01.2022 द्वारा उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार, रायसिंहनगर को लिखा गया था। सुलभ सन्दर्भ हेतु पत्र की छायाप्रति इस पत्र के संलग्न प्रेषित है।
>
> संलग्न : उपरोक्तानुसार।
>
> -sd-
> (भवानी सिंह पंवार)
> लोक सूचना अधिकारी
> (प्रभारी अधिकारी,राजस्व शाखा)
> कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

चूंकि प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपील का जवाब उक्तानुसार दिया है और उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर एवं तहसीलदार (राजस्व), रायसिंहनगर को पत्र लिखते हुए अपने पत्रांक 212–213 दिनांक 11.01.2023 द्वारा प्रार्थी को भी सूचित सूचित किया जा चुका है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना रायसिंहनगर क्षेत्र से सम्बन्धित है, जो कि वर्तमान में नवगठित जिला कलक्टर, अनूपगढ़ के क्षेत्राधिकार में है इसलिए अद्योहस्ताक्षरकर्ता को उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर एवं तहसीलदार, रायसिंहनगर **के विरूद्ध अपील सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.05.13 12:16:34 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

किस्म मुकदमा | मुक

1. अपील / RT

2

इसलिए अपीलार्थी वांछित सूचना हेतु उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहागनर एवं तहसीलदार, रायसिंहनगर **के प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है।** क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर अपीलार्थी की अपील यहां से खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति प्रभारी अधिकारी (राजस्व शाखा), कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकम़ील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 30.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोक बंधु)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.05.13 12:16:34 IST
Reason: SelfAttested